न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चूण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 10/2024 (2023/41) दर्ज दिनांक 19.01.2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

सुनिलकुमार पुत्र बुद्धराज बापना निवासी ब्यावर तहसील व जिला ब्यावर (राज.) **प्रार्थी**

बनाम

1. सुमन कासोटिया पत्नि मुकेश कुमार रेगर निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. ओमप्रकाश पुत्र ख्यालीलाल खटीक
3. कमला देवी पत्नि ख्यालीलाल खटीक
4. गंगा देवी पुत्री बालुराम खटीक
5. जीतेन्द्र पुत्र हजारी लाल खटीक
6. नाबालिग निकिता पुत्री किशन लाल जरिये संरक्षक सरपरस्त माता मंजू पत्नि किशन खटीक
7. प्रहलाद पुत्र बंशी लाल खटीक
8. नाबालिग प्रियंका पुत्री किशन लाल जरिये संरक्षक सरपरस्त माता मंजू पत्नि किशन खटीक
9. बसन्ती पुत्री बालुराम खटीक
10. मेवा लाल पुत्र बालुराम खटीक
11. मोहनी पत्नि बालुराम खटीक
12. रामेश्वर लाल पुत्र ख्याली लाल खटीक
13. रोशनलाल पुत्र बालुराम खटीक
14. शारदा पुत्री बंशीलाल खटीक
15. संजू पत्नि किशन खटीक
16. नाबालिग हितेश पुत्र किशन लाल जरिये संरक्षक सरपरस्त माता मंजू पत्नि किशन खटीक
    सर्व निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

विपक्षीगण

उपस्थिति– **अधिवक्ता प्रार्थीगणः– श्री मनीष दाधीच**
विपक्षीगण संख्याः– 1,2,9,10,11 अनुपस्थित
विपक्षी संख्या :–3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16 के विरूद्ध एवं 4 व 13 की मृत्यु हो जाने से उनके वारिसान के विरूद्ध दाद नहीं चाही गई

:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956</u> ::

निर्णय **दिनांकः–17.05.2024**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम पोटलां पटवार हल्का पोटलां तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1146 रकबा 0.21 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.21 हे0 भुमि राजस्व खाता संख्या 1741 पर स्थित है। जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या **1, 2, 9, 10, 11** बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विपक्षी संख्या 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16 के विरूद्ध एवं 4 व 13 की मृत्यु हो जाने से उनके वारिसान के विरूद्ध दाद नहीं चाही गई प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divyaraj Singh Chundawat
Date: 2024.11.22 17:49:59 IST
Reason: SelfAttested

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन एवं गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 10/2024 (2024/41)
अन्तर्गत धारा 111–128 एल0आर0एक्ट

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम पोटलां हल्का पोटलां तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1146 रकबा 0.21 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.21 हे0 भुमि राजस्व खाता संख्या 1741 पर स्थित भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो सक्षम न्यायाल में वाद दायर कर चाराजोही करें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

जिला भीलवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divyaraj Singh Chundawat
Date: 2024.11.22 17:49:59 IST
Reason: SelfAttested